न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 12/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/538

अपीलार्थी	बनाम	उत्तरदातागण
1.श्रीमती ममता पत्नी नेमीचंद पुत्री जैसा उर्फ जसाराम जाति मेधवाल निवासी जेठतरी तहसील समदड़ी हाल निवासी शास्त्री कोलानी बालोतरा 2.श्रीमती हरकू पत्नी छगनलाल पुत्री जैसा उर्फ जसाराम जाति मेधवाल निवासी ढीढस तहसील समदड़ी व जिला बालोतरा 3.श्रीमती हंजादेवी पत्नी रेमाराम पुत्री जैसा उर्फ जसाराम जाति मेधवाल निवासी कालजी का बेरा,थापन तहसील सिवाणा व जिला बालोतरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई 2.लिछमणाराम पुत्र जैसा उर्फ जसाराम 3.सुन्दरदेवी पत्नी जैसा उर्फ जसाराम जाति मेधवाल निवासी पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 4.श्रीमति चौथीदेवी पत्नी बंशीलाल पुत्री जैसा उर्फ जसाराम जाति मेधवाल निवासी थापन तहसील सिवाणा 5.सुगलाराम पुत्र बावुड़ा 6.लेहरो पत्नी बाबुड़ा 7.शंकरीया पुत्र धुड़ाराम 8.शंकर पुत्र मुकनाराम 9.मगाराम पुत्र धनाराम 10.हीराराम पुत्र बीजाराम 11.ओमाराम पुत्र मीठालाल 12.भंवराराम पुत्र मीठालाल 13.कमलादेवी पत्नी मीठालाल जति मेधवाल निवासी पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 14.कंकूदेवी पत्नी धर्माराम जाति मेधवाल निवासी मेधवालो का वास,जेठन्तरी तहसील समदड़ी व जिला बालोतरा 15.सायरोदेवी पत्नी मालाराम जाति मेधवाल निवासी जैरला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 337 जो सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई खालसा द्वारा आदेश दिनांक 14.9.1998 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री जेठूलाल कुमावत व श्री सांवलराम मेघवाल अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री संजय नाहर अधिवक्ता उतरदाता संख्या 2 व 3

3. उतरदाता संख्या 1 व 4 से 16 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 12.11.2024

1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि जैसाराम की सह–खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 160 व 423 कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि अवस्थित थी। जैसाराम के वारिसान में अपीलार्थी एवं उतरादाता संख्या 2 से 4 वारिस हैं। विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण जैसाराम की खातेदारी भूमि में बहिस्सा बराबर हक हकूक निहित थे। अपीलार्थी के पिता जैसाराम का देहान्त 1997 में हुआ था। जैसाराम के फौत होने पर फौतदगी नामानतकरण उसके वारिसान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 2 से 4 के नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन उतरदाता संख्या 02 द्वारा उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अपने व अपनी माता उतरदाता संख्या 03 के नाम दायर करवा दिया गया तथा अपीलार्थी को उनके हक हकूको से महरूम रखा गया। अतः अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते नए सिरे से जैसाराम के वारिसान के नाम दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री संजय नाहर द्वारा उतरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा अपीलार्थी की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। उतरदाता संख्या 01 व 4 से 16 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी के दादा धनिया की सह–खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 160 व 423 कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि अवस्थित थी। अपीलार्थी के दादा के तीन पुत्र–जैसा,मगा व चेलाराम थे। अपीलार्थी जैसाराम के वारिसान है। अपीलार्थी के दादा धनिया के फौत होने पर जैसाराम व उसके भाईयो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित आराजी पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में अपीलार्थी के जन्म से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। अपीलार्थी के पिता जैसाराम का देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण उसके वारिसान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 2 से 4 के नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन तत्समय उतरदाता संख्या 02 द्वारा उतरदाता संख्या 01 से मिलीभगत करते हुए विवादित आराजी का फौतदगी नामान्तकरण अपने व उतरदाता संख्या 03 के नाम दायर करवाया गया,जबकि अपीलार्थी का भी नाम साथ में दायर करवाना चाहिए था,लेकिन अपीलार्थी को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। जबकि अपीलार्थी का विवादित आराजी मे अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित नामान्तकरण जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है,क्योंकि आलोच्य नामान्तकरण अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रकियाओं को अपनाए पारित किया गया हैं,जबकि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर बहिस्सा बराबर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। आलोच्य अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थी का राजस्व–रेकर्ड में नाम नहीं होने का उतरदाता नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं,जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के दादा धनिया की पुश्तैनी खातेदारी में वक्त सेटलमॅट इन्द्राज होने पर अपीलार्थी का हक–हिस्सा प्राप्ति के अधिकारी हैं। अन्तः में निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तकरण विधि–विरूद्ध पारित किए जाने के कारण आलोच्य नामान्तकरण संख्या 337/14.9.1998 निरस्त कर जैसाराम के विधिक वारिसान् के नाम नए सिरे से पारित किए जाने का आदेश किया जावें।

4.उतरदाता संख्या 2 व 3 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 2 से 4 मुतवफी जैसाराम के वारिसान है। अपीलाधीन भूमि में पारित विवादित नामान्तकरण तत्ससमय उतरदाता संख्या 01 की गलती से अशुद्व दायर किया गया था। अपीलार्थी भी जैसाराम की वारिसान है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है,तो उतरदाता को आपति नहीं है।

5.हम प्रकरण को सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर निर्णीत करना आवश्यक समझतें है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तकरण संख्या 337 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित किया गया है,क्योंकि अपीलाधीन भूमि के तत्समय सहखातेदार जैसाराम के विधिक वारिसान की जांच किए बिना ही आलोच्य नामान्तकरण पारित किया जाना पाया जाता है। जबकि जैसाराम के फोतदगी नामान्तकरण भरने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की जांच की जाकर तत्पश्चात कार्यवाही की जानी चाहिए थी,लेकिन उतरदाता संख्या 01 द्वारा ऐसा नहीं किया गया,जो नियम से परे जाकर आदेश पारित किया गया है,ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए मयाद का बिन्दू बनता ही नहीं है,क्योंकि जो प्रारम्भतःविधि विरूद्व भरा गया नामान्तकरण मयाद की परिधि में आता ही नहीं है। ऐसी दशा में मयाद के सम्बन्ध में उदार द्वष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश में होने तथा उनके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से विवादित आराजी की नकल प्राप्त करने पर स्वंय का नाम भू अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना कानूनन उचित समझतें है। क्योंकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वंय साध्य के रूप में। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझतें है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 337 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी ग्राम उमरलाई खालसा की मूल खसरा संख्या 160 व 423 कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि की खतौनी बंदोबस्त धनिया वल्द गंगाराम वगैरा की खातेदारी मे दर्ज हुई थी। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2054–2057 धनिया के स्थान पर जैसा,मगा व चेला पिसरान धनिया वगैरा की सहखातेदारी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पुश्तैनी है तथा हिन्दू उतराधिकार प्रावधानों के तहत दादा की सम्पति मे उसके पौत्र–पौतिया का हक हकूक निहित होता है। विवादित आराजी के सहखातेदार जैसा पुत्र धनिया के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण संख्या 337 पारित करते हुए केवलमात्र उतरदाता संख्या 2 व 3 का नाम दायर किया गया,जबकि जैसा के वारिसान में उतरदाता संख्या 2 व 3 के अलावा अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 04 भी वारिस है। उक्त वारिस होने की सत्यता उतरदाता संख्या 2 व 3 अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्वीकार किया है कि आलोच्य नामान्तकरण गलत पारित किया गया है,जबकि जैसा के वारिसान में अपीलार्थी भी वारिस है। इस प्रकार स्पष्ट हो चुका है कि आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित हुआ था। उक्त आलोच्य नामान्तकरण में अवलोकन करने मात्र से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित किया गया है,क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण पारित से पूर्व विधिक प्रकियाओं की पालना किए बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते आलोच्य नामान्तकरण पारित किया हैं,जो कि अपने आप में आलोच्य नामान्तकरण प्रारम्भः से ही शून्य की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार जैसाराम के फौतदगी नामान्तकरण उसके वारिस अपीलार्थी के नाम पारित किया जा चाहिए था,लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिक त्रुटि करते हुए केवलमात्र उतरदाता संख्या 2 व 3 के नाम भरा गया तथा अपीलार्थी को उसके हक हको सें महरूम रखा गया,जो कि कानूनी त्रुटी की गई हैं। ऐसी सूरत में अपीलार्थी के आलोच्य अपीलाधीन भूमि में हक–हकूक बनते हैं। ऐसी सूरत में हस्तगत अपील चलने योग्य हैं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व–रेकर्ड़ एवं दस्तावेजात से प्रमाणित हो चुका है कि आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित हुआ था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकार को सही समय एवं सुलभ तरीके से न्याय प्राप्त होना चाहिए, न की जटिल प्रकियाओं को अपनाते हुए न्याय दिया जाना चाहिए।

7.उपर्युक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी के संबध में मुतवफी जैसा के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण नए सिरे से पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा–5,परिसीमा अधिनियम–1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर आंशिक स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत उमरलाई के नामान्तकरण संख्या 337 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई के आदेश दिनांक 14.09.1999 को अपास्त कर,प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि मुतवफी जैसा वल्द धनिया कौम मेघवाल के विधिक वारिसान की जांच करते हुए अपीलाधीन आराजी का नामान्तकरण नये सिरें से नियमानुसार पारित करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
12-11-2024